



प्रेस विज्ञप्ति

(सूचना एवं जन-सम्पर्क कार्यालय, कैमूर)

संख्या :- 222

दिनांक :- 07.12.2013

विस्थापितों की सुनवाई करेगी पुर्नवास समिति

कैमूर(भभुआ) 07 दिसम्बर 2013 :- दुर्गावती जलाशय परियोजना के विस्थापितों के पुर्नवास योजना हेतु नौ दिसंबर को समिति के माध्यम से अध्यक्ष पटना प्रमंडल आयुक्त के कार्यालय में समस्या की सुनवायी करेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर समाहर्ता अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्गावती जलाशय परियोजना के विस्थापितों के पुर्नवास नियोजन हेतु सरकार ने एक पुर्नवास समिति बनायी है जिसके अध्यक्ष आयुक्त पटना प्रमंडल है। अपर समाहर्ता ने कहा कि पिछले दिनों जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता डेहरी एवं पुर्नवास पदाधिकारी से प्राप्त सूची जिसमें करमचट गांव (211) विस्थापित है एवं भुरली गांव में 65 विस्थापित है। इसमें से कुल 276 विस्थापित की नियोजन संबंधी दावे की सुनवाई जिलाधिकारी द्वारा बीते माह 21 नवम्बर को की गयी। उसके आधार पर विस्थापितों के दावे अनुशंसा करते हुए आयुक्त पटना प्रमंडल को नियोजन हेतु जिला स्तर से की गयी थी जिसपर पुर्नवास समिति द्वारा निर्णय लेने हेतु आयुक्त पटना प्रमंडल द्वारा 09.12.2013 को आयुक्त कार्यालय में पुर्नवास समिति की बैठक आयोजित की गयी है जिसमें जिलाधिकारी पुर्नवास पदाधिकारी के अलावा पुर्नवासियों के प्रतिनिधि को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।